

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून

सेवा में,

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी,
यू०एल०डी०बी०/यू०एस०डब्ल्यू०डी०बी०
2. परियोजना निदेशक,
पशुलोक/कालसी/नरियालगांव/भरारीसैण/मक्कू
3. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक: 172 /स्था०एक/वा०स्थाना०/2018-19 दिनांक 03 मई, 2018

विषय: उत्तराखण्ड लोक सेवकों हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के क्रम में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 426/स्था०एक/वा०स्थाना०/2018-19 दिनांक 28 अप्रैल, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ऐसे कार्मिक, जिनका स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष या शासन स्तर से किया जाना है और जो अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की परिधि में आ रहे हैं, से इच्छित 10-10 विकल्प मांगकर शीघ्र निदेशालय को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे। अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प दिये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 15 मई, 2018 निश्चित है, इसके पश्चात् प्राप्त विकल्पों पर कोई भी विचार नहीं जायेगा।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार शासन स्तर एवं विभागाध्यक्ष से किये जाने वाले स्थानान्तरणों हेतु पात्र कार्मिकों एवं रिक्त/सम्भावित रिक्तियों की संशोधित सूची विभागीय वेबसाईट www.ahd.uk.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीन अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले कार्मिकों से संशोधित सूची के अनुसार 10-10 इच्छित विकल्प मांगकर यथाशीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दिनांक 15 मई 2018 के पश्चात् प्राप्त विकल्पों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।


भवदीय


(डा०के०के०जोशी)
निदेशक

पृ०सं०: /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, पशुपालन निदेशालय।
2. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद, देहरादून।
3. सविच, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड/गो सेवा आयोग, देहरादून।
4. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।


(डा०के०के०जोशी)
निदेशक